INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

IN-UP01907419407757V

Subhash Chandra
Stamp Vendor
Licence Number 95A/13
E-Stamping ACC Id-UP 14113804
Tehsil-Sadar Distt.-Kasganj
Mob.-8218726181

Certificate No.	:	IN-UP01907419407757V
Certificate Issued Date	:	30-Aug-2023 03:28 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14113804/ KASGANJ/ UP-KSG
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14113804993807987918 67V
Purchased by	:	MANENDRA KUMAR SO SOHANPAL SINGH
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	MANENDRA KUMAR SO SOHANPAL SINGH
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	MANENDRA KUMAR SO SOHANPAL SINGH
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

सत्यमेव जयते

NOTARY * Jai Kumar Saxena

CANCELLED

NOTARIAL NOTARIAL

Jai Kumar Saxena
Advocate
Notary of India
KASGANJ Reg. No. 9566

मानेन्द्र कुमार
अध्यक्ष /मुख्य ट्रस्टी
माँ फाउण्डेशन ट्रस्ट
नगला मदारी पो० कुमरौआ (कासगंज)

Statutory Alert:
[illegible]

(प्रारूप–"अ")

सत्र 2023–24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ–पत्र का प्रारूप

हम मानेन्द्र कुमार (नाम अध्यक्ष) एवं ब्रजेन्द्र कुमार (नाम सचिव) क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव मॉ फाउडेशन ट्रस्ट नगला महारी पोस्ट कुमरौआ कासगंज (सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम एवं पता) शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते हैं –

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा मॉ फाउण्डेशन ट्रस्ट (संस्था का नाम एवं पता) रामश्री देवी महाविद्यालय नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।

2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम मॉ फाउण्डेशन ट्रस्ट (पता जहां पर भूमि स्थित है) नगला महारी पो० कुमरौआ में गाटा संख्या 1347/1 एवं – रकबा क्रमशः 1.006 एवं – हेक्टेयर (कुल रकबा 1.006 हेक्टेयर) भूमि है।

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 1347/1 — एवं रकबा क्रमशः एवं हेक्टेयर (कुल रकबा 1.006 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 03/12/2020 द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

Jai Kumar Saxena
Advocate
Notary Govt. of India
KASGANJ Reg. 35-8566

मानेन्द्र कुमार
अध्यक्ष/मुख्य ट्रस्टी
मॉ फाउण्डेशन ट्रस्ट
नगला महारी पो० कुमरौआ (कासगंज)

8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

मनोज कुमार

अध्यक्ष/मुख्य ट्रस्टी
ह0 सचिव
माँ फाउन्डेशन ट्रस्ट
नगला माली पो० कुसौआ (कासगंज)

ह0 अध्यक्ष

Jai Kumar Saxena
Advocate
Notary Govt. of India
KASGANJ Reg. No. 9566

Attested/Executed before me ...
Kasganj by...
Identified/Verified by ...
Witness if any... Manendra Kumar
Signed...

Notary, Kasganj